राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2013/832 दिनांकः– 3/6/13

उप आवासन आयुक्त,
वृत्त............,
राजस्थान आवासन मण्डल,
.... ।

विषय :– राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा स्थानीय निकायों यथा नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं को हस्तान्तरित योजनाओं/कॉलोनियों के रिकार्ड़ हस्तान्तरण बाबत्।

सन्दर्भ :– मण्डल द्वारा जारी आदेश कमांक प.174/मुसप्र/स्था.नि..रि.हस्ता./2011/1488 दिनांक 09.09.2011.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा स्थानीय निकायों यथा नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं को हस्तान्तरित योजनाओं की पत्रावलियॉ/रिकार्ड़ संबंधित निकायों को हस्तान्तरित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु ऐसा ध्यान में आया है कि अभी भी स्थानीय निकायों को योजनाओं/कॉलोनियों/सेक्टर का रिकार्ड़ हस्तान्तरित किया जाना शेष है।

इस संबंध मे आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा विकसित की गयी योजनाओं /कॉलोनियॉ/सेक्टर जो कि स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किये जा चुके है एवं उनमे आवंटित कब्जा शुदा (रजिस्ट्री शुदा) आवास जिनकी पूरी राशि आवंटियों ने मण्डल को चुका दी है तथा जिनमें कोई न्यायिक प्रकरण नहीं चल रहा है, उन आवासों की पत्रावलियॉ सम्बन्धित स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अधिकारियों को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही 30 जून 2013 तक पूर्ण कर ली जावें। पत्रावलियॉ/रिकार्ड़ हस्तान्तरण से पूर्व महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छांयाप्रतियां भी कार्यालय में रखी जावें। हस्तान्तरण योग्य कुल पत्रावलियों की संख्या, हस्तान्तरित की गई पत्रावलियों की संख्या, हस्तान्तरण से शेष रही पत्रावलियों की संख्या की सूचना (लम्बित रहने के कारण सहित) प्रत्येक माह की 5 व 20 तारीख को आवश्यक रूप से भिजवायी जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
आवासन आयुक्त

F:\desktop newly\m jit letter.docx

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी/नगर निगम/नगर परिषद /नगर पालिका........... ....।
4. सचिव/मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पी. एण्ड एम., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6 वरिष्ठ निजी सहायक–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त– रा0आ0म0, वृत..(समस्त)
8. सहायक निदेशक जन सम्पर्क, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता खण्ड.........., राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
10. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करें।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक